फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

पारसमल वनाम कीर्ति प्रताप सिंह (कोरा)

किस्म मुकदमा प्रा-पत्र 111-128 नं0 52 सन् 2020

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
6.20	वाद / प्रार्थनापत्र वाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 7-7-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
7-7-20	उभय पक्ष [illegible] अधिकारी राजकीय कार्य [illegible] / पदरिक्त है। अतः पत्रावली [illegible] 28-7-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
28/7/20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर हैं / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7-8-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
7/8/20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा-प० की गई, अप्रार्थीगण को तीन मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थीगण का प्रा-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा- प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जि. भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.22 15:44:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 52/20 प्रा.पत्र

1– श्री पारसमल पु. श्री स्वामीलाल सिंघवी (जैन) निवासी-केरिया त० माण्डल [कौरा]

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री कीर्तीप्रतापसिंह पु. श्री नरेन्द्रसिंह राजपूत निवासी-केरिया, तहसील-माण्डल [वगैरा]
[प्रा.पत्र की फोटो कॉपी संलग्न है]

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 07-08-2020

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.........केरिया.........पटवार हल्का.........केरिया.........तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1928, 1929, 1930, 1931, 1932 कुल किता......05......रकबा......05...... बीघा......13......बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ......02-06-20......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.........केरिया......... पटवार हल्का.........केरिया.........तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1928, 1929, 1930, 1931, 1932.........कुल किता......05......रकबा......05...... बीघा......13......बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक......आलमास......400/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.22 15:14:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner